

न्यायालय-अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : नितिन ओजवानी, आर.जे.एस
सरकार बनाम जीतराम
एफ.आई.आर. नंबर-73/2025 पुलिस थाना-किशनगढ़, अजमेर
अपराध अन्तर्गत धारा-115(2), 126(2), 324(5), 191(2),
333, 351(2), 352 बीएनएस

जीतराम उर्फ जीतू पुत्र रामकरण, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम पाटन, पुलिस थाना
बांदरसिंदरी, जिला अजमेर, राज.।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

ब न म

राजस्थान राज्य-

-अभियोगी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवारी।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी-राज्य की ओर से।

-आदेश-

दिनांक: 13.02.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र जरिए अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध कराई गई। उभय पक्ष को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।
2. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिये कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की प्रत्येक शर्तों की पालना करने को तत्पर है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उसे जमानत का लाभ दिया जावे।
3. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. अभियुक्त को दिनांक 12.02.2026 को गिरफ्तार किया गया है एवं वर्तमान में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होना दर्शित नहीं है।
5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 73/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 324(5), 191(2), 331(6), 351(2), 352 बीएनएस पुलिस थाना किशनगढ़ में दर्ज है। उक्त रिपोर्ट में दिनांक 27.04.2025 को रात्रि के समय 11 बजे के आसपास स्थान नेशनल हाइवे 8 पर बडगांव के पास स्थित परिवादी की आधिपत्यशुदा होटल सुप्रीम मेवात पर अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी व उसके पिताजी के साथ गाली-गलौंच व लकड़ी-सरियों से मारपीट कारित की जाकर, परिवादी की होटल के अंदर तोड़फोड़ व लूटपाट कारित किये जाने व परिवादी के होटल के बाहर खड़े वाहनों बोलरो गाडी एचआर 52 ए 9145, ब्रेजा कार आरजे 42 सीए 6750, मोटरसाइकिल आरजे 42 एसए 6145 व मोटरसाइकिल आरजे 42 एसजी 7809 को तोड़फोड़ कारित कर क्षतिग्रस्त किया जाना के तथ्य अंकित हैं। केस डायरी अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण किया जाना एवं बाद पूर्ण अनुसंधान उक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 324(5), 191(2), 333, 351(2), 352 बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया जाना दर्शित है।
6. हालांकि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, परन्तु अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गम्भीर प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

- आदेश -

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **जीतराम उर्फ जीतू** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **अस्वीकार कर, खारिज** किया जाता है।

(नितिन ओजवानी)

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ़, जिला-अजमेर

8. उक्त आदेश आज दिनांक 13.02.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया। आदेश की नकल अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही एक प्रति जेल अधीक्षक को जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(नितिन ओजवानी)

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ़, जिला-अजमेर